



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2011/माघ 25, 1932

No. 320]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2011/MAGHA 25, 1932

ग्रामीण विकास मंत्रालय

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2011

New Delhi, the 14th February, 2011

का.आ. 372(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 82(अ), दिनांक 14 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, अक्षर और संख्या "1 जनवरी, 2011" के बाद शब्द "या संशोधित मजदूरी दर के वास्तविक भुगतान की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो", अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-11011/1/2009-मनरेगा (भाग)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 82(अ), दिनांक 14 जनवरी, 2011 के जरिए प्रकाशित की गई थी।

S.O. 372(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 82(E), dated the 14th January, 2011, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, after the words, letters and figures "1st day of January, 2011", the words "or the date of actual payment of the revised wage rate, whichever is later" shall be inserted.

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA(Pt.)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 82(E), dated the 14th January, 2011.